समक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण

प्रधान पीठ, नई दिल्ली।

Orignal Application No. 511/2022

चन्द्रशेखर खवाड़े बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य।

आवेदक चन्द्रशेखर खवाड़े की ओर से विनित निवेदन इस प्रकार है:–

1. यह कि लिखित शिकायत दिनांक– 30.03.2022 को माननीय न्यायाधिकरण द्वारा Orignal Application No. 511/2022 दर्ज किया गया है।

2. यह कि आवेदक के उक्त शिकायत पर संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक– 30.08.2022 को आदेश पारित कर एक संयुक्त समिति का गठन किया गया, जिसमें झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक प्रतिनिधि तथा जिला दण्डाधिकारी, देवघर के एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामित करने हेतु माननीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया।

3. यह कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक– 15.03.2023 से स्पष्ट है कि संयुक्त जांच समिति हेतु Regional Officer JSPCB-cum-Laboratory, Dumka एवं Executive Magistrate, Deoghar को सदस्यों के रूप में नामित किया गया।

4. यह कि उक्त आदेश द्वारा गठित समिति के लिए निर्देश जारी किया गया कि वे दो सप्ताह के भीतर आवेदक एवं संबंधित प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि को साथ लेकर बैद्यनाथ मंदिर के निकट/गणेश बाजार में सघन आबादी के बीच अवस्थित SITCO Soap Industry (Sitaram Soap Works Unit, Deoghar) के स्थल का निरीक्षण करेंगे। समिति को यह भी निर्देशित किया गया था कि वे निरीक्षण द्वारा उन तथ्यों की जांच करेंगे कि क्या उक्त SITCO Soap Industry (Sitaram Soap Works Unit, Deoghar) द्वारा पर्यावरण मानकों का उल्लघंन किया जा रहा है अथवा नहीं। उन्हें यह भी निर्देशित किया गया कि वे अपने जांच प्रतिवेदन से राज्य PCB तथा Project Proponent को अवगत कराएंगे। राज्य PCB को उक्त आदेश द्वारा नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

5. यह कि आदेश दिनांक 30.08.2022 से माननीय न्यायाधिकारण द्वारा व्यवस्था दी गई कि जांच के दौरान पाई गई खामियों को परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुरूस्त करेंगे।

Khawre
26/7/23

खामियों को दुरूस्त करवाने में राज्य PCB एवं जिला दण्डाधिकारी को कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया था।

6. यह कि आवेदक का संयुक्त जांच समिति के निरीक्षण, जांच प्रतिवेदन/अनुशंसा एवं निर्देशों के अनुपालन के संबंध में निम्न आपत्ति है:–

A. संयुक्त जांच समिति के निरीक्षण एवं जांच प्रतिवेदन पर आपत्तिः–

I. संयुक्त जांच समिति द्वारा किस तिथि को SITCO Soap Industry (Sitaram Soap Works Unit, Deoghar) का स्थल निरीक्षण किया गया इसकी जानकारी आवेदक को उपलब्ध नहीं है।

II. जांच समिति द्वारा SITCO Soap Industry के **स्थल निरीक्षण के समय आवेदक/शिकायतकर्ता को साथ नहीं रखा गया, जो माननीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक– 30.08.2022 के निर्देशों का सरासर उल्लंघन है।**

III. चूंकि जांच समिति द्वारा SITCO Soap Industry के स्थल निरीक्षण के समय आवेदक को साथ नहीं रखा गया था, ऐसे सभी जांच युक्ति–युक्त शंकाओं के अधीन माना जा सकता है तथा इससे **टेबल जांच की आशंका को बल मिलता है।** फलस्वरूप संयुक्त जांच समिति का जांच प्रतिवेदन व अनुशंसा (Ref. No. 1740, dated 18.10.2022) एकपक्षीय व स्वेच्छाधारी है।

IV. यह कि उक्त ईकाई हरित श्रेणी के अन्तर्गत आती है अथवा नहीं ऐसा संयुक्त जांच समिति के प्रतिवेदन से स्पष्ट नहीं है, जबकि क्षेत्रीय पदाधिकारी दुमका द्वारा ज्ञापांक 343, दिनांक– 12.03.2022 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से आवेदक को उनके एक पत्र के जबाव में बताया गया है कि उक्त ईकाई हरित श्रेणी के अंतर्गत आती है।

V. आवेदक के शिकायत के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त जांच समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के क्रम में पाए गए उन सभी तथ्यों की जानकारी नहीं है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि SITCO Soap Industry द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के किन–किन मानकों का उल्लंघन किया जाता रहा है। ऐसी परिस्थिति में संयुक्त जांच समिति की खामियों को दुरूस्त करने संबंधी अनुशंसा एक भ्रामक दस्तावेज मात्र है और वे SITCO Soap Industry के अगल–बगल बसे सघन आबादी के जान–माल के प्रति लापरवाह नजर आ रहे हैं।

Khavare
26/7/23

यह कि संयुक्त जांच समिति के प्रतिवेदन में कारखाने को नगर निगम से जोड़ने वाले नाले व उसमें बहिस्त्रावित होने वाले जल से प्रदूषण फैलाव के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

B. जांच संबंधी अनुशंसाओं के मद्देनजर JSPCB द्वारा Ref. No. B-234, dated 19.12.2022 एवं Ref. No. B-234, dated 31.01.2023 द्वारा निर्गत निर्देश के आलोक में आपत्ति:–

I. JSPCB द्वारा जारी निर्देश में SITCO Soap Industry (Sitaram Soap Works Unit, Deoghar) को CTO Renewal तथा इंकाई बंद रखने का आदेश दिया गया था। निहितार्थ कि SITCO Soap Industry ईकाई द्वारा बिना CTO Renewal के औद्योगिक कार्य किया जा रहा था।

उल्लेखनीय है कि Consent To Operate (CTO) किसी औद्योगिक ईकाई को चालू करने से पूर्व उक्त औद्योगिक ईकाई के परियोजना प्रस्तावक को देना होता है कि वह ईकाई Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 के प्रावधानानुसार कार्य करेगा, परन्तु SITCO Soap Industry द्वारा बिना CTO Renewal का कार्य किया जाना उक्त दोनों अधिनियमों का खुलम–खुला उल्लंघन है और फलस्वरूप जल एवं वायु प्रदूषण का फैलाव कर उक्त ईकाई द्वारा अगल–बगल के सघन जनमानस के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरती गई जिससे वह दण्ड का भागीदार है।

II. SITCO Soap Industry (Sitaram Soap Works Unit, Deoghar) को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह ईकाई को नगर निगम से जोड़ने वाले कच्चे नाले के स्थान पर पक्का नाला का निर्माण करें, किन्तु संयुक्त जांच समिति के प्रतिवेदन में नाले व उसमें बहिस्त्रावेत होने वाले जल के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। साथ ही क्षेत्रीय पदाधिकारी, दुमका द्वारा अपने ज्ञापांक–343, दिनांक–12.03.2022 (छायाप्रति संलग्न) में परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि ने कहा है कि उक्त नाले में घरेलू जल को बहिस्त्रावित किया जाता है। नाले व उसमें बहिस्त्रावित होने वाले जल के संबंध में संयुक्त जॉच समिति के प्रतिवेदन, JSPCB के निर्देश एवं परियोजना प्रस्तावक का कथन भ्रम की स्थिति पैदा करता है।

III. SITCO Soap Industry को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह Stored Ash, Oil Trapper तथा Air Polution Control Device का अधिष्ठापन करे, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि उक्त ईकाई द्वारा लापरवाह होकर आस–पास

Khavare
26/7/23

के वातावरण में जल एवं वायु प्रदूषण का स्वतः फैलाव किया जाता रहा है, परन्तु आज तक JSPCB एवं उसके अधीन कार्यरत Regional Officer JSPCB-cum- Laboratory, Dumka द्वारा उक्त औद्योगिक ईकाई के विरूद्ध कोई भी विधि सम्मत कार्रवाई नहीं किया गया है।

IV. SITCO Soap Industry (Sitaram Soap Works Unit, Deoghar) द्वारा JSPCB की ओर से जारी निर्देशों का पालन किया गया कि नहीं इसकी जॉच के लिये JSPCB ने Ref. No. B-395 दिनांक 27.02.2023 जारी कर Regional Officer JSPCB cum- Laboratory, Dumka को अधिकृत किया। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि Regional Officer JSPCB-cum- Laboratory, Dumka संयुक्त जॉच समिति के भी सदस्य थे और JSPCB के निर्देशों के अनुपालन की जॉच करने वाले पदाधिकारी भी नामित किये गये। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि Regional Officer JSPCB cum- Laboratory, Dumka एक ऐसे व्यक्ति एवं अधिकारी है जिसमें इस क्षेत्र के प्रदूषण नियंत्रण संबंधी सारी शक्तियॉ अंतर्निहित है। वे एक साथ जॉचकर्ता, आरोप निर्धारण करने वाले एवं निर्णय लेने वाले पदाधिकारी है।

7. यह कि I.A no. 455/2023 in Orignal Application No. 511/2022 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2023 द्वारा आवेदक को दिनांक 23.05.2023 द्वारा सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिये PDF Format में Email द्वारा नोटिस निर्गत किया गया था परन्तु उक्त PDF नहीं खुलने के कारण आवेदक सुनवाई हेतु उक्त दिनांक को माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुये आवेदक की अनुपस्थिति को क्षांत करना न्यायोचित है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर माननीय न्यायाधीकरण से विनम्र निवेदन है कि SITCO Soap Industry (Sitaram Soap Works Unit, Deoghar) द्वारा खुलेआम नियमों/अधिनियमों का उल्लंघन किये जाने एव उस क्षेत्र में बसी सघन आबादी के जानमाल एवं स्वास्थ्य के खतरे को ध्यान में रखते हुये उसे तत्काल प्रभाव से बंद कराने की कृपा की जाये एवं माननीय न्यायाधीकरण के आदेश का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों को दंडित करने की कृपा की जाये।

विनीतप्रार्थी

Khavare 26/07/23

चन्द्रशेखर खवाड़े

S/o स्व. कृष्णा नन्द खवाड़े

चक्रवर्ती लेन, वी. देवघर

झारखण्ड - 814112

M.N. - 9097183700

सर्वश्री सितको (साबुन कारखाना) का श्री चन्द्रशेखर खवाडे, अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, देवघर नगर द्वारा किए गए शिकायत के आलोक में निरीक्षण प्रतिवेदन।

सर्वश्री सितको (साबुन कारखाना) देवघर का निरीक्षण दिनांक– 10.03.2022 को श्री रवि कुमार, सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी, द्वारा किया गया। निरीक्षण के क्रम में निम्नलिखित तथ्य पाए गए।

1. यह इकाई वस्तुतः साबुन बनाने का कार्य करती है। यह इकाई अनापत्ति प्रमाण पत्र के गाइलाईन आने के पूर्व से स्थापित है। यह इकाई शहर के धनी आबादी लक्ष्मी मार्केट/गणेश मार्केट के निकट स्थापित है।
2. यह इकाई एक हरी श्रेणी की इकाई है।
3. इकाई द्वारा झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका से प्रतिवर्ष संचालन सहमति प्रमाण पत्र लिया जाता है।
4. इकाई प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि साबुन बनाने के क्रम में किसी तरह के जल का उपयोग नही होता है और न ही किसी तरह का बहिस्त्राव उत्पन्न होता है। घरेलु उपयोग किया हुआ जल को ही बहिस्त्रावित किया जाता है।
5. इकाई द्वारा वायू प्रदूषण से संबंधित प्रतिवदेन भी समय–समय पर समर्पित किया जाता है।

उपरोक्त संबंध में सूचित करना है कि इकाई द्वारा बहिस्त्रावित जल नमूना एवं वायू नमूना संग्रहण एवं विश्लेषण के उपरान्त ही प्रदूषण की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सकता है जो कि शीध्र ही कर लिया जाएगा।

विश्वासभाजन,

12/3/2022
(सहायक वैज्ञानिक पदाधि)
इकाई

ह0/–
क्षेत्रीय पदाधिकारी,
दुमका।

ज्ञापांक :–343 दुमका/दिनांकः– 14/03/2022

प्रतिलिपि :– चन्द्र शेखर खवाडे, अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, देवघर नगर को सूचनार्थ प्रेषित।

12/03/2022
क्षेत्रीय पदाधिकारी,
दुमका।